न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

ठासीन अधिकारी – बद्री नारायण मीना आर ए एस

द संख्या 131/12

1. अमर चंद पुत्र पेमा जाति रेगर निवासी खोहरी तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर
2. शांति पुत्री पेमा जाति रेगर निवासी खोहरी तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर
3. छोटा पुत्री पेमा जाति रेगर निवासी खोहरी तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर

.... वादीगण

बनाम

1. रूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
4. गोपाल बाई बेवा गोपाल सिंह
5. रामलाल सिंह पुत्र बने सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी खोहरी तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर
7. तेज सिंह पुत्र बने सिंह
8. रतन बाई पुत्री बनेसिंह
9. शिमला बाई पुत्री बनेसिंह
10. कमला बाई पुत्री बनेसिंह
11. सोना बाई पुत्री बने सिंह
12. उच्छव बाई पुत्री बने सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी खोहरी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

........प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट वादीगण की और से

वाद पत्र धोषणा,स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

आदेश

दिनांक 16.3.22

वादीगण की और से यह वाद पत्र इस आशय का दायर किया कि ग्राम खोहरी पटवार हलका ठडा तहसील बौली की पुरानी जमाबंदी मे ख.नं. 263/3 रकबा 5 विस्वा , ख.नं.263/4 रकबा 1 बीधा विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीधा 15 विस्वा वादी अमरचंद एवं वादी की माता लाडा की खातेदारी

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

थी इसी खसरा नं. 263 में ख.नं.263 रकबा 1 बीघा भूमि वादी अमरचंद के नाम से अलग से दर्ज है खसरा नं.263 रकबा 1 बीघा के नये नम्बर 389 सही बनाये गये इस बाबत विवाद नहीं है। खसरा 3/3 रकबा 5 बिस्वा भूमि तथा 263/4 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा को नक्शे सही दर्शाया गया है जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है लेकिन सेटिलमेंट त खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 387 बनाये है वह गलत बना दिये हैं जबकि मौके पर ण का खसरा नं. 467 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर कब्जा है तथा नये नम्बर 387 रकबा 0.44 पर दीगण का का कब्जा काश्त है । दिनांक 25.9.2012 को उक्त गलती का पता चला इस कारण यह करना लाजिम आया। अतः वादीगण की खातेदारी में से हाल खसरा नं. 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर को कर इसके स्थान पर 467 रकबा 0.43 हेक्टयर दर्ज किया जावें तथा 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर दीगण के खाते में दर्ज किया जावें।उक्तानुसार घोषणा करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.3.13 को ादी सं. 1 ल.5 की और से श्री नरेन्द्र सिंह राजावत उपस्थित हुऐ तथा वकालतनामा एवं जवाब दावा करने हेतु अवसर चाहा। तथा दिनांक 12.6.13 को इनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये एवं दिनांक 16.3.16 को प्रतिवादी सं. 7 लगायत 12 के विरूध्द भी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये परिणामतः प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस कारण वाद पत्र में ीयात विरचित नहीं की गई।

वादीगण की और से साक्ष्य पी.ड.1 अमर चंद , पी.ड.2 रामसहाय प्रस्तुत की एवं प्रलेखीय साक्ष्य में र्श 1 नजरी नक्शा, प्रदर्श–2 राजस्व नक्शा,प्रदर्श–3 जमाबंदी पुरानी, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–5 बंदी संवत 2029 से 2032, प्रदर्श–6 पासबुक, प्रदर्श–7 राजस्व नक्शा पुराना , प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत 7–70 खाता सं. 3, प्रदर्श–9 जमाबंदी संवत 2067–70 खाता सं.146, प्रदर्श–10 मिलान क्षैत्रफल, र्श–11 सेटिलमेंट खतोनी ,प्रदर्श–12 जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 2 प्रदर्श–13 व 14राजस्व ा , प्रदर्श–15 जमाबंदी संवत 2046–49 खाता संख्या 69, प्रदर्श–16 जमाबंदी संवत 2046–49 खाता या 62 प्रस्तुत कियें।

बहस वादीगण के अधिवक्ता सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित ों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रदर्श–6 पास मे दर्ज राजस्व नक्शे अनुसार ही वादीगण का जा काश्त हैं लेकिन सेटिलमेंट के दौरान वादीगण को हाल खसरा नं. 387 रकबा 0.44 खातेदारी में दर्ज दिया जबकि वादीगण का कब्जा हाल खसरा नं. 467 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर हैं । इस कारण खसरा 87 के स्थान पर 467 दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण के खाते में 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर दर्ज या जावें। इसके समर्थन में वादीगण की और से उक्त दस्तावेजात पेश किये हैं तथा मौका रिपोर्ट र्श–17 से वादीगण के दावे की पुष्टी होती हैं। अतः दावा डिक्री फरमाया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रदर्श–5 के अनुसार आराजी खसरा नं. 263/3 रकबा बिस्वा, 263/4 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के पिता पेमा के खातेदारी में दर्ज थी।जिसे प्रदर्श–6 स के साथ राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श'4 से आराजी खसरा नं. 263 रकबा 1 या 15 बिस्वा के हाल नम्बर 387 रकबा 0.44 कायम किये गये । जो प्रदर्श–12 के अनुसार वादीगण की तेदारी में दर्ज है। साथ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी में हाल खसरा नं. 467 रकबा 0.43 प्रदर्श–9 के

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

नुसार दर्ज होना पाया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत कायम नक्शा प्रदर्श–6 एवं हाल नक्शा प्रदर्श–2 एक साथ अवलोकन करने पर यह सिद्ध पाया जाता है कि प्रदर्श–6 पास बुक में दर्शित नक्शा के नुसार हाल नक्शा प्रदर्श–2 मे दर्ज खसरा नं. 467 की आराजी का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है उक्त आराजी खसरा नं. 467 पर वादीगण की ही खातेदारी की है तथा सेटिलमेंट विभाग ने गलत दर्ज कर दिया है तथा वादीगण की खातेदारी मे दर्ज आराजी खसरा नं. 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर पर रिपोर्ट के अनुसार छतरी बनी होना व शेष रकबा खाली होना पाया गया साथ ही खसरा नं. 467 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर वादीगण का कब्जा काश्त होना मौका रिपोर्ट प्रदर्श–17 में पाया गया है।

उक्तानुसार हमारे विनम्र अभिमत में सेटिलमेंट के बाद उक्त इन्द्राजात गलत होना प्रथम दृष्टया सिद्ध होने के कारण वाद पत्र को केवल इन्द्राज दुरूस्ती की हद तक स्वीकार किया जाना विधिसम्मत है तथा प्रदर्श–12 जमाबंदी खाता सं.2 में दर्ज आराजी खसरा नं. 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर वादीगण के खाते से हटाकर प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज किया जाना उचित है तथा प्रदर्श–9 मे दर्ज आराजी खसरा नं. 467 रकबा 0.43 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. ग्राम खोहरी तहसील बौली के मुताबिक जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 146 मे दर्ज आराजी खसरा नं. 467 रकबा 0.43 हैक्टेयर को प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटाकर वादीगण के खाते में दर्ज की जावें तथा इसकी ऐवज में उक्त संवत के खाता संख्या 2 मे दर्ज आराजी खसरा नं. 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर को वादीगण के खाते से हटाई जाकर प्रतिवादीगण के उक्त खाते में इन्द्राज कर दुरूस्त किया जावें। शेष समस्त इन्द्राजात तथा रहन बाबत पूर्व की भाँति यथावत रहेंगें।

तदानुसार डिकी जारी हों।

(बद्री नारायण मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर
बौली जिला सवाईमाधोपुर

निर्णय आज दिनांक 16.3.22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर
बौली जिला सवाईमाधोपुर